मेरठ विकास प्राधिकरण

की

93वीं बोर्ड बैठक

दिनांक : 13—12—2010

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 93वीं बैठक दिनांक 13–12–2010 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 93वीं बैठक आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 13–12–2010 को अपरान्ह 12.30 बजें से प्रारम्भ होकर अपरान्ह 3.30 बजें तक सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में उपाध्यक्ष एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1.	श्री जे0सी0 आदर्श,	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
2.	श्री भुवनेश कुमार	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
3.	श्री डी0के0सिंह	नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ।	सदस्य
4.	श्री महक सिंह,	अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) मेरठ।	विशेष आमन्त्रित सदस्य
5.	श्री डी0सी0 गुप्ता	सहयुक्त नियोजक, मेरठ प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य
6.	श्री एच0एन0शुक्ला	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव वित्त।	सदस्य
7.	श्री यू0के0तायल	अधीक्षण अभियंता, जल निगम, मेरठ।	सदस्य
8.	श्री किशन सिंह	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय, मेरठ।	सदस्य
9.	श्री विनोद कुमार	अपर निदेशक, जिला उद्योग, मेरठ।	सदस्य

10. श्री अनुराग पटेल | सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ। | संयोजक

प्राधिकरण की 92वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29–07–2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि–

प्राधिकरण की 92वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29–07–2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

अनुपूरक प्रस्ताव, 76वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या– 3

माननीय बोर्ड द्वारा मुख्य अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया गया कि दिनांक 15–12–2010 तक दोंनो योजनाओं (श्रद्धापुरी फेस–2 व डिफेंस एन्कलेव योजना) के कार्य पूर्ण कराकर दिनांक 15–01–2011 तक उन्हें नगर निगम को हस्तान्तरित कर दें।

प्राधिकरण की 81वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या –2

माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि 20बारातघरों के विरूद्ध दिनांक 08–01–2011 के बाद सील/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाय तथा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही से पृथक् हेतु संस्तुत 11 बारातघरों में अशोका भवन, राजा रानी विवाह मण्डप, सिद्धार्थ वाटिका, जगदीश मण्डप पर सील/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाये तथा एम0के0फार्मस एवं परिणय उपवन जिनके मानचित्र स्वीकृत बताये जा रहे है, का स्थल निरीक्षण करके यह देख लिया जाये कि यदि स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किया गया है अथवा सड़क पर पार्किंग की जा रही है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार भी सील/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाये। विगत बोर्ड के निर्देशानुसार पार्किंग की छूट प्रदान करते हुए जिन बारातघरों के मानचित्र, स्वतः स्वीकृति योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये, बोर्ड के उक्त आदेश को अवैधानिक मानते हुए इस बोर्ड द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया है और स्वतः स्वीकृति योजना के तहत स्वीकृत मानचित्र वाले बारातघरो में भी पार्किंग की व्यवस्था करायी जाये। पार्किंग की व्यवस्था न करने पर उनके विरूद्ध भी सील/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाये।

प्राधिकरण की 82वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या –8

माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि ग्रीनवेल्ट में स्थित जिन अवैध निर्माणों का ध्वस्तीकरण होना शेष रह गया है, उन अवैध निर्माणों के विरूद्ध एक अभियान चलाकर शीघ्र ही उनके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाये तथा उत्तरदायी अभियन्ताओं का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाये।

प्राधिकरण की 89वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या –7

माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि शताब्दीनगर, वेद व्यासपुरी, डा0 राम मनोहर लोहियानगर एवं गंगानगर विस्तार योजनाओं के जिन कृषकों द्वारा अपनी भूमि के समायोजन की सहमति दे दी गयी है, उनका समायोजन कर दिया जाये एवं जिन कृषकों द्वारा अभी तक भूमि समायोजन हेतु अपनी सहमति नहीं दी गयी है, उनसे बैठक करके वार्ता कर ली जाये और यदि ऐसे कृषकों द्वारा अपनी सहमति नहीं दी जाती है तो उनके द्वारा धारित भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही की जाये।

प्राधिकरण की 91वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या– 2

माननीय बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

प्राधिकरण की 92वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या–1

माननीय बोर्ड द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव इस शर्त एवं सूक्ष्म संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि प्राधिकरण पूरे जोन का सरकुलेशन प्लान बनाया जाये तथा प्राधिकरण आउट सोर्सिंग के माध्यम से प्राधिकरण के मुख्य नगर नियोजक एवं संभागीय नियोजन खण्ड के टाउन प्लानर की देख–रेख में अन्य समस्त जोनों का जोनल प्लान शीघ्र बनवायें।

मद संख्या– 2

माननीय बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

मद संख्या– 3

मान्नीय बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

मद सं0 5

रक्षापुरम आवासीय योजना में निर्मित दुकानों का मूल्य फ्रीज करने के सम्बन्ध में।

मान्नीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि कन्विनियन्ट शाप्स की कास्टिंग हेतु शासन द्वारा जारी मद सं0 2 पर उल्लिखित शासनादेश के अनुरूप प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण की कार्यवाही की जाये।

प्राधिकरण की 93वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव–

मद संख्या : 1

प्राधिकरण की डा0 राम मनोहर लोहियानगर आवासीय योजना में मैसर्स मेरठ सीजर्स मैन्युफैक्चर्स स्पेशल परपज वेहिकल सोसाईटी द्वारा निशुल्क/रियायती दर आवंटित भूमि आवंटित किये जाने विषयक प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु प्रस्ताव।

मान्नीय बोर्ड द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या : 2

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 द्वारा जारी शासनादेश सं0 3272(1)/8–1–10–156विविध/10 दिनांक 19–8–2010 में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में निर्मित कन्विनियेन्ट शॉप्स हेतु कास्टिंग एवं आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

मान्नीय बोर्ड द्वारा कन्विनियेन्ट शॉप्स की कास्टिंग हेतु जारी शासनादेश को एडाप्ट किये ज़ाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या : 3

मेरठ विकास प्राधिकरण की डा0 राम मनोहर लोहियानगर आवासीय योजना के पॉकेट डी में पैट्रोल पम्प की स्थापना इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 के पक्ष में 1620 वर्ग मीटर व्यावसायिक भूमि का आवंटन।

माननीय बोर्ड द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या : 4

वाह्य विकास शुल्क की बढोत्तरी के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या : 5

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा भवन निर्माण/विकास अनुज्ञा प्रदान करते समय लिये जाने वाले विकास शुल्क की धनराशि अवस्थापना निधि में न जमा कर अलग रखे जाने के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या : 6

मेरठ विकास प्राधिकरण के प्लानिंग व डिजाइनिंग के कार्यो को प्राइवेट आर्कीटैक्ट्स/कन्सलटेन्टस से कराने के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए जोनल प्लान एवं प्लानिंग व डिजाईन के कार्यो को प्राईवेट आर्कीटेक्ट्स/कन्सलटेन्ट्स को नियुक्त करने हेतु उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।

मद संख्या : 7

बेसिक शिक्षा विभाग को स्कूल निर्माण हेतु मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित कराए गये भवनों के परिसर के पास भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या : 8

गंगानगर योजना के पॉकेट बी में आधारशिला स्कूल के बराबर में रिक्त पड़ी भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रश्नगत अवशेष भूमि को शैक्षिक प्रयोजन हेतु पुनः विज्ञापित किया जाये एवं तदुपरान्त प्राप्त परिणाम से आगामी बोर्ड बैठक में बोर्ड को अवगत कराया जाये।

मद संख्या : 9

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं में निर्मित सामुदायिक केन्द्रों को अनुरक्षण/संचालन जन सहभागिता हेतु फर्मो/संस्थाओं/व्यक्तियों को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि जिन व्यक्तियों/सरस्थाओं को सामुदायिक केन्द्र आवंटित किये जाए उनके लिये उपभोक्ताओं से वसूल की ज़ाने वाली अधिकतम् धनराशि भी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कर दी जाये।

मद संख्या : 10

शैक्षिक उपयोग हेतु आवंटित भूखण्डों के आवंटियों से अतिरिक्त प्रतिकर के मद में ली जाने वाली धनराशि रियायती दर पर लिये जाने हेतु प्रस्ताव।

माननीय बोर्ड द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि शासनादेश में विहित व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही की जाये।

मद संख्या 11

निजी विकासकर्ताओं/शैक्षिक संस्थानों/औद्योगिक आस्थानों की भूमि के अन्तर्गत नगर निगम/ग्राम सभा की चिन्हित चकरोड़, नाली व अन्य सरकारी भूमि एकजाई कर प्राधिकरण को हस्तांन्त्रित करने के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में राजस्व अनुभाग एवं आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग के शासनादेश का विधिक परीक्षण करा लिया जाये तथा परीक्षणोपरान्त निजी विकासकर्ताओं के तलपट मानचित्र में शामिल भूमि को एकज़ाई करके प्राधिकरण को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्ताव नगर निगम को भेजा जाय।

माननीय बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि वर्तमान बोर्ड बैठक की तिथि तक स्वीकृत तलपट मानिचित्रों की भी जाँच करके उक्त तलपट मानचित्रों में निहित नगर निगम को भूमि को प्राधिकरण को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्ताव भी नगर निगम को भेजा जाय।

मद संख्या 12

मेरठ महायोजना (विस्तारित क्षेत्र) दौराला (प्रारूप)–2021 के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 13

डा0 भीमराव अम्बेडकर राजकीय हवाई पट्‌टी के विस्तारीकरण हेतु आवंटित भूमि से प्रभावित शताब्दीनगर आवासीय योजना के सेक्टर 4सी के पॉकेट एफ के पंजीयन शुदा भूखण्डों एवं सेक्टर 1 के अन्तर्गत पट्‌टे भूमि से प्रभावित पंजीयन शुदा भूखण्डों को योजना के उपलब्ध भूखण्डों में किये गये परिवर्तन/समायोजन के फलस्वरूप भूखण्डों की नये सिरे से रजिस्ट्री कराने पर आने वाले व्यय को प्राधिकरण द्वारा वहन करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

माननीय बोर्ड द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि सभी 21 भूखण्डों के आवंटियों के पक्ष में पंजीयन पर होने वाला व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा।

मद संख्या 14

ग्राम ढिकौली , जिला मेरठ के खसरा नं0 63, 66, 67, 48, 47, 46, 45, 43, 42, 41, 49, 38, 35, 34, 33, 32, 31, 28, 29, 25 कुल क्षेत्रफल 63390 वर्ग मीटर भूमि का भू–उपयोग सार्वजनिक सुविधाओं से उद्योग किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव विधि विरूद्ध होने के कारण अस्वीकृत किया गया।

अनुपूरक मद 1

एन0सी0आर0 को रीजनल रैपिड टान्सपोर्ट सिस्टम (आर0आर0टी0एस0) विकसित करने एवं क्रियान्वित करने के लिये मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ में इक्विटी कन्ट्रीव्यूशन के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा उपर्युक्त परिचालन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

अनुपूरक मद 2

शताब्दीनगर आवासीय योजना अन्तर्गत ग्राम रिठानी, कुण्डा, अछरोंडा, कचंनपुर घोपला, नगंला शेरखंा उर्फ जैनपुर तथा कांशी के कृषको को कलक्टर द्वारा घोषित अभिनिर्णय के अतिरिक्त, अतिरिक्त प्रतिकर भुगतान के सम्बंध में दिंनाक 23–09–2010 को जिलाधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में किसानों से किये गये समझौते के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्ताव।

माननीय बोर्ड द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव अनुमोदित्त किया गया एवं निर्देश दिया गया कि प्रश्नगत समझौते को शासन को सूचनार्थ/अवलोकनार्थ प्रेषित किया जाये।

अनुपूरक मद 3

मेरठ महायोजना 2021 में प्रस्तावित रिंग रोड एंव शताब्दी नगर से हापुड रोड को जोडने के लिये 45 मीटर चौडे महायोजना मार्ग के निर्माण के लिये भूमि अर्जन की स्वीकृति हेतु विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्ताव।

माननीय बोर्ड द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक मद 4

रूडकी रोड़ पर ग्राम मुकर्रबपुर पल्हैड़ा, रोशनपुर डौरली, ललसाना व पीलना सोफीपुर की भूमि पर पल्लवपुरम फेस–तृतीय के स्थान पर ग्राम रिठानी, नंगला शेरखां उर्फ जैनपुर, नूरनगर, मौहम्मदपुर गुम्मी एवं लिसाड़ी की भूमि पर न्यू टाउनशिप विकसित करने हेतु भूमि अर्जन प्रस्ताव।

माननीय बोर्ड द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि उक्त ग्रामों की भूमि पर दिनांक 12–12–2010 से पूर्व स्वीकृत/स्वीकृत योग्य प्रस्तुत मानचित्रों में सम्मिलित भूमि को छोडकर शेष भूमि पर शासन द्वारा किसानों को प्रतिकर भुगतान के लिये शासन द्वारा निर्गत नये शासनादेश के अनुसार किसानों से समझौता कर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जाये।

अनुपूरक मद 5

ट्रान्सपोर्ट नगर विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव अनुमोदित किया।

अनुपूरक मद 6

स्वतन्त्रता सैनानी मौ0 इशाक पुत्र श्री बब्बू, निवासी अब्दुल्लापुर को गंगानगर विस्तार योजना में 500 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन हेतु प्रस्ताव।

माननीय बोर्ड द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह निर्देश दिया गया कि स्वतन्त्रता सैनानी मौ0 इशाक पुत्र श्री बब्बू को यह अवगत करा दिया जाये कि उन्हें 500 वर्ग मीटर भूमि का भूखण्ड प्राधिकरण की वर्तमान आवासीय दर पर दिया जायेगा। यदि उनके द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति नहीं जाती है तो उनके अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय एवं अन्य माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

14/12/2010
(अनुराग पटेल)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

14.12.2010
(जे0सी0आदर्श)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(अनुराग श्रीवास्तव)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड,
मेरठ।